न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-151/2023

राज्य

बनाम्

मो0 जसीम अली

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1220/एम0 दिनांक 25.11.2023 से राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा दिनांक 30.09.2023 को बालूमाथ थाना क्षेत्र अन्तर्गत बालूमाथ पांकी मार्ग के पास रहमत चौक के पास अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु जांच के क्रम में बालू से लदा ट्रैक्टर रजि0 नं0—JH19B-2427 को रोककर चालक से चालान की मांग की गई, चालक द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त वाहन के विरूद्ध स्थानीय थाना बालूमाथ में थाना काण्ड संख्या—137/2023 दिनांक 18.03.2023 दर्ज कराया गया तथा जप्त ट्रैक्टर को ट्रॉली सहित बालूमाथ थाना में सुरक्षार्थ रखा गया है, जिसे "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के तहत् जप्त ट्रैक्टर वाहन एवं उसके ट्रॉली में लदे बालू खनिज को राजसात करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया।

उक्त वाद के विपक्षी को नोटिस निर्गत कर उन्हें तामिला कराया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी मो0 जसीम अली अधिवक्ता के माध्यम

से उपस्थित होकर पक्ष रखा गया, जिसमें कहा गया है कि जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19B-2427 एवं ट्रॉली के कानूनन स्वामी है।

विपक्षी एक निहायत ही गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखते है तथा जीविकोपार्जन हेतु सिर्फ खेती पर निर्भर है एवं उसी कार्य से उपरोक्त ट्रैक्टर को ऋण लेकर क्रय किए थे। उक्त जप्त ट्रैक्टर पर अज्ञानतावश विपक्षी बालू लोड करवा लिया था। चूंकि, विपक्षी अपना घर का निर्माण कार्य करा रहे थे, जिसमें बालू की आवश्यकता हो गई थी। विपक्षी अपने ट्रैक्टर पर बालू लेकर आ रहे थे, उसी समय अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा जप्त कर लिया गया। विपक्षी बालू पर कोई दावा नहीं कर रहे है, लेकिन उपरोक्त जप्त ट्रैक्टर एवं ट्रॉली पर दावा कर रहे है, ताकि कृषि कार्य का संचालन कर सके, क्योंकि कृषि का समय नजदीक है, इसलिए ट्रैक्टर एवं ट्रॉली रिलीज करने की प्रर्थना है। यह विपक्षी की प्रथम गलती है। विपक्षी भविष्य में कभी भी इस प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं करेंगे और न हीं भविष्य में वे कोई भी आपत्तिजनक कार्य में उक्त ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे। विपक्षी न्यायालय द्वारा आदेशित शर्तों का अनुपालन करने को तैयार है। अतः न्यायहित में राजसात की कार्रवाई को समाप्त कर ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को मुक्त किया जाय।

उपरोक्त तथ्यो के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19B-2427 को ट्रॉली सहित अर्थ दण्ड मो0–10000/– रूपये सरकारी कोष (JIMMS) में भुगतान करने एवं एक लाख रू0 का बंध पत्र प्रस्तुत करने तथा एक स्थानीय जमानतदार के उपरान्त कड़ी चेतावनी के साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ राजसात की कार्रवाई से मुक्त किया जाता है :–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।

4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र, अर्थ दण्ड की राशि मो0–10000/– रूपये सरकारी कोष (JIMMS) में भुगतान करने संबंधित चालान की प्रति एवं एक लाख रू0 का बंध पत्र प्रस्तुत करने तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, महुआडांड़ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, अंचल अधिकारी, महुआडांड़, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं विपक्षी को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:33:31 +05:30
Location: 192.168.5.143